

कार्यालय—निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक परीक्षा 1986 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी श्री सुनील कुमार गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल मैरिट नं. 221 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी/2856/मुख्य/96-97 दिनांक 25.04.2000 के द्वारा जालोर जिला आवंटित किए जाने के उपरांत पदस्थान हेतु जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) जालोर को सुपूर्द किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक), जालोर द्वारा राउमावि, माण्डोली नगर जालोर में पदस्थापन के आदेश जारी किए गए।

श्री सुनील कुमार गोयल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में सिविल याचिका संख्या 9935/2020 सुनील कुमार गोयल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दायर की गई।


याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2020 में याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में विधि अनुसार प्रकरण 03 माह में निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के अनुसरण में याचिकार्थी श्री सुनील कुमार गोयल द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 30.09.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी राज्य सेवा में कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि 07.06.2000 की है। श्री गोयल को नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में दी गई थी। प्रार्थी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से वरिष्ठता एवं वेतन सम्बन्धी लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में निवेदन किया है।

यह है कि माननीय उच्च न्यायालय न्यायालय में दायर याचिका संख्या 712/04 श्री दिनेश कुमार सैनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में जयपुर बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2004 की पालना में प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06.12.2004 को शासन सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। उक्त समिति द्वारा गम्भीर मनन एवं विचरोपरान्त यह स्पष्ट किया गया की माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी नम्बर 8287/93, 8376/93, 13969-70/93 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.1993 के परिप्रेक्ष्य में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे, जिसकी पालना में नियुक्तियां दी जा चुकी है। जहां तक वरिष्ठता लाभ एवं अन्य अनुषांगिक लाभ प्रदत्त करने का प्रश्न है, न तो राज्य सरकार द्वारा एवं न ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि ये नियुक्तियां भूतलक्षी प्रभाव से होगी।

यह है कि राजस्थान लिपिक वर्गीय नियम- 1957 जो अब वर्ष 1999 के नाम से प्रदत्त है, के प्रावधानों के तहत वरिष्ठता नियमित नियुक्ति तिथि से देय है जिसके अनुरूप इन याचिकार्थियों को उनके कार्यग्रहण दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जा चुका है।


विभाग इस प्रकार के समान प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी अपील संख्या 383/2020 राजस्थान सरकार व अन्य बनाम धालकिशन पारीक व अन्य दायर की गई है। उक्त स्पेशल अपील माननीय उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति के विवरणानुसार एतदनुसार दिनांक 30.09.2000 को प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।


(सौरभ स्वागी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक - 12/01/21

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी-1/याचिकाएं/1986/20
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा।
3. संबंधित श्री सुनील कुमार गोयल, राउमावि शिवपुरा कोटा
4. रक्षित पत्रावली।


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर